न्यायालय:–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां, जिला डीडवाना–कुचामन ।

पीठासीन अधिकारी :– धर्मेन्द्र सिंह जाखड़, आरजेएस.
नियमित अपराधिक प्रकरण संख्या :– 375 /2018
सी.आई.एस.संख्या :– 375 /2018
सी.एन.आर नंबर :– RJDK120007042018

राजस्थान राज्य ....अभियोगी

बनाम

महेंद्र सिंह पुत्र किशनलाल, उम्र वयस्क, निवासी सुरेरा, पुलिस थाना दांतारामगढ़, जिला सीकर।

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति:–
1. **अभियोजन अधिकारी – अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।**
2. **श्री ओमप्रकाश गुर्जर – अधिवक्ता– अभियुक्त।**

– निर्णय– दिनांक 09–07–2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि बालूराम की ओर दिनांक 20.11.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–18, इस आशय की प्रस्तुत की गई कि 19.11.2018 को उसके गांव से पुष्कर स्नान के लिए औरतें गयी हुयी थी, जो उसकी जीप नंबर RJ 23 U 0274 में दुर्गा देवी पत्नी मोतीलाल, मीरा पत्नी चौथूराम, सुनिता पत्नी मुकेश कुमार, सुप्यार पत्नी चैनसिंह, टोमा देवी पत्नी बाबूलाल, सुरज्ञान देवी पत्नी सीताराम, कमला देवी पत्नी कल्याण सिंह, उषा देवी पत्नी सत्यनारायण, निवासीगण श्यामगढ़ जो सभी पुष्कर स्नान कर वापस आ रहे थे। शाम को समय करीबन 7.00 बजे महाराजपुरा तिराहे के पास पहुंचे तो मारोठ की तरफ से अल्टो कार नंबर RJ 23 CB 5933 तेज गति से लापरवाही से वाहन चालक द्वारा गलत दिशा में आकर उसकी जीप को टक्कर मारी, जिससे उसकी जीप पलटी खा गयी, जिससे जीप में बैठी सभी औरतों के चोटें आयीं, जिनके इलाज हेतु मारोठ चिकित्सालय लाया गया व इलाज करवाया गया तथा दुर्गा देवी, उषा देवी, मीरा देवी के गंभीर चोट आने से उन्हें जयपुर

SMS अस्पताल रेफर किया गया, जिसमें दुर्गा देवी की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी। उसके भी दुर्घटना में चोटें आने से व स्वयं का इलाज करवाने में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट देरी से दर्ज करवायी गयी............इत्यादि। जिस पर मु.न. 108/18 दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया व बाद अनुसंधान मुलजिम महेंद्र सिंह के विरूद्ध धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर नतीजा पेश किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2018 को मुलजिम के विरूद्ध उक्त धाराओ में प्रसंज्ञान लिया गया।

2. तत्पश्चात मुलजिम को दिनांक 19.12.2018 को ही उक्त धाराओ में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो मुलजिम ने आरोप अस्वीकार कर अंवीक्षा चाही।

3. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 डॉ. जीवण चौधरी, पी.ड. 02 बालूराम, पी.ड. 03 मीरा, पी.ड. 04 सुप्यार कंवर, पी.ड. 05 संगीता उर्फ सुनिता, पी.ड. 06 अमीर असलम खां, पी.ड. 07 उषा, पी.ड. 08 टोमा, पी.ड. 09 कमला, पी.ड. 10 सुरज्ञान, पी.ड. 11 रणजीत सिंह, पी.ड. 12 परमाराम, पी.ड. 13 बद्रीप्रसाद, पी.ड.14 सांवरमल, पी.ड. 15 कमला देवी, पी.ड. 16 बाबूलाल कुमावत व पी.ड. 17 किशनलाल को परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 01 चोट प्रतिवेदन सुनिता देवी, प्रदर्श पी 02 चोट प्रतिवेदन दुर्गा देवी, प्रदर्श पी 03 चोट प्रतिवेदन मीरा देवी, प्रदर्श पी 04 एक्सरे रिपोर्ट मीरा देवी, प्रदर्श पी 05 व प्रदर्श पी–06 एक्सरे प्लेट मीरा देवी, प्रदर्श पी–07 चोट प्रतिवेदन सुप्यार देवी, प्रदर्श पी– 08 एक्सरे प्लेट सुप्यार देवी, प्रदर्श पी–09 एक्सरे रिपोर्ट सुप्यार देवी, प्रदर्श पी–10 चोट प्रतिवेदन सुरज्ञान देवी, प्रदर्श पी–11 चोट प्रतिवेदन उषा देवी, प्रदर्श पी–12 व 13 एक्सरे प्लेट उषा देवी, प्रदर्श पी–14 एक्सरे रिपोर्ट उषा देवी, प्रदर्श पी–15 चोट प्रतिवेदन तोफा देवी, प्रदर्श पी–16 चोट प्रतिवेदन कमला देवी, प्रदर्श पी–17 चोट प्रतिवेदन बाबूराम, प्रदर्श पी–18 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–19 चाक एफ.आई.आर, प्रदर्श पी–20 नक्शामौका घटनास्थल, प्रदर्श पी–21 फर्द निरीक्षण व सुपुर्दगी, प्रदर्श पी–22 मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट, प्रदर्श पी–23 मृतक दुर्गा देवी की लाश का पंचनामा, प्रदर्श पी–24 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श पी–25 फर्द सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श पी–26 फर्द जब्ती अल्टो कार, प्रदर्श पी–27 धारा 133 एम.वी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श पी–28 धारा 134 एम.वी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श पी–29 असल मालखाना रजिस्टर, प्रदर्श पी–29ए मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

4. अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मुल्जिम के बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. लेखबद्ध किए गए। मुल्जिम ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन की ओर से निवेदन किया गया कि मुल्जिम द्वारा वाहन अल्टो कार नंबर RJ 23 CB 5933 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाया जाकर दुर्घटना कारित किया जाना एवं दुर्घटना के परिणामस्वरूप चोटें आने से मृतका दुर्गादेवी की मृत्यु हो जाना व अन्य को भी गंभीर चोटें आना साबित है। इसीलिए मुल्जिम को दोषसिद्ध किया जाकर अधिकतम दंड से दंडित किया जावें। मुल्जिम की ओर से दौराने बहस निवेदन किया गया कि अभियोजन के साक्षियों की साक्ष्य में विरोधाभास है, वक्त घटना मुल्जिम द्वारा वाहन चलाया जाना स्पष्ट रूप से साबित नहीं है, न ही वाहन को तेज गति या लापरवाही से चलाये जाने के कोई साक्ष्य पत्रावली पर आयी है। अभियोजन साक्ष्य से मुल्जिम के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है। इसीलिए मुल्जिम को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावें।

6. उभय पक्ष की बहस के तर्क प्रकरण में कारित अपराध में उल्लेखित घटना के सम्बन्ध में सुनने एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार से हैः–

1. आया अभियुक्त ने दिनांक 19.11.2018 को समय करीब शाम 7.00 पी.एम. पर सरहद महाराजपुरा पर वाहन अल्टो कार नंबर RJ 23 CB 5933 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए जीप नंबर RJ 23 U 0274 को टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापित्त कर उसमें सवार औरतों व परिवादी को घोर उपहति कारित की, जिससे जीप पर सवार दुर्गा देवी के गंभीर चोट आने के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई?

2. यदि हां तो अभियुक्त का दण्ड क्या होगा?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई समस्त एवं मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करने पर परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 में उसके गांव की औरतों एवं उसके पुष्कर स्नान करके उसकी जीप नंबर RJ 23 U 0274 में वापस आते समय महाराजपुरा तिराहे के पास पहुंचने पर मारोठ की तरफ से एक अल्टो कार

नंबर RJ 23 CB 5933 के चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से कार चलाते हुए उनकी जीप के टक्कर मार दी गई, जिससे उनकी जीप पलटी खा गई एवं दुर्गा देवी की मृत्यु हो गयी व अन्य को साधारण व गंभीर चोटें आना बताया है। इस संबंध में परिवादी बालूराम ने न्यायालय साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–02 के रूप में परीक्षित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किए हैं कि करीब साढे तीन साल पहले वह औरतों को पुष्कर स्नान करवाकर अपनी जीप से वापिस घर आ रहे थे तब उसके साथ जीप में दुर्गादेवी, मीरादेवी, सुनिता, सुप्यार, टोपादेवी सुरज्ञान, कमला, उषा थी। महाराजपुरा व मारोठ के बीच सामने से अल्टो कार नम्बर आरजे 23–सीबी–5933 ने लहराते हुए गलत दिशा में आकर उसकी जीप के टक्कर मारी, अल्टो कार को महेन्द्र चला रहा था। टक्कर लगने से उसके सिर में चोट आई थी। जीप में बैठी औरतों के भी चोटें आई थी, इसमें दुर्गादेवी की मौत हो गयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्शपी–18 दर्ज करवायी थी।

वही गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि थाने में दी गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी–01 किसने लिखी थी, उसे पता नहीं है। रिपोर्ट लिखने वाले का नाम उसे पता नहीं है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसकी जीप पलटी खाई इसलिए औरतों के चोटें आयी थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि नक्शामौका में पुलिस ने क्या लिखा उसे जानकारी नहीं है।

8. चश्मदीद साक्षी **पी.डब्ल्यू.–03 मीरा** ने करीब साढे तीन साल पहले जब वे पुष्कर तीर्थ स्थान पर जाकर बालूराम मीणा की जीप में श्यामगढ़ आ रहे थे, तब जीप में उसके अलावा दुर्गादेवी, टोपादेवी, कमला, सुरज्ञान, अनिता अन्य औरतों का बैठा होना बताते हुए उनकी जीप का एक्सीडेन्ट महाराजपुरा व मारोठ के बीच सडक पर सामने से आ रही कार द्वारा उनकी जीप को टक्कर मार देने से होने का कथन किया है। उनकी जीप वाले ने पूरी साईड दे दी थी, फिर भी सामने कार वाले ने उनकी जीप के टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने के बाद वह बेहोश हो गयी थी, उसे जयपुर अस्पताल में होश आया था। उसके सिर पर व हाथ में चोट आई थी। एक्सीडेन्ट कार चालक की गलती से हुआ था। टक्कर में दुर्गादेवी की मौत हो गयी थी।

गवाह ने जिरह में कथन किए हैं कि सामने आने वाली कार चालक को वह पहले से नहीं जानती थी और आज तक चालक को नहीं देखा है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि सामने से आ रही कार के नंबर उसे ध्यान नहीं है, क्योंकि वह जीप में पीछे बैठी थी और अंधेरा हो गया था, उसने पुलिस को गाड़ी नंबर नहीं बताए थे।

9. वही प्रकरण के अन्य चश्मदीद साक्षी गवाह **पी.डब्ल्यू.–04 सुप्यार कंवर** ने कथन किए हैं कि करीब साढे तीन साल पहले जब वे पुष्कर तीर्थ स्थान पर जाकर बालूराम मीणा की जीप में श्यामगढ़ आ रहे थे, तब जीप में उसके अलावा दुर्गादेवी, टोपादेवी, कमला, मीरा, अनिता अन्य औरतों का बैठा होना बताते हुए उनकी जीप का एक्सीडेन्ट महाराजपुरा व मारोठ के बीच सडक पर सामने से आ रही कार द्वारा उनकी जीप को टक्कर मार देने से होने का कथन किया है। उनकी जीप वाले ने पूरी साईड दे दी थी, फिर भी सामने कार वाले ने उनकी जीप के टक्कर मार दी थी। उसके हाथ व कंधे पर चोट आयी थी तथा कंधा पर फ्रेक्चर हो गया था। उसने उसकी चोटों का मेडिकल करवाया था, जो प्रदर्श पी–07 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। एक्सीडेंट कार चालक की गलती से हुआ था। टक्कर में दुर्गादेवी की मौत हो गयी थी। वही गवाह ने दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त यह कथन किए हैं कि जीप में वह पीछे की तरफ बैठी थी व जीप पलटी खाने से उनके चोटें आयीं थी। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सामने से आने वाली कार चालक को नहीं जानती है व जीप में पीछे बैठे होने के कारण चालक को नहीं देखा था। वही प्रकरण की अन्य चश्मदीद गवाह **पीडब्ल्यू–05 संगीता उर्फ सुनिता** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि करीब साढे तीन साल पहले जब वे पुष्कर तीर्थ स्थान पर जाकर बालूराम मीणा की जीप में श्यामगढ़ आ रहे थे, तब जीप में उसके अलावा दुर्गादेवी, टोपादेवी, कमला, मीरा, अनिता अन्य औरतों का बैठा होना बताते हुए उनकी जीप का एक्सीडेन्ट महाराजपुरा व मारोठ के बीच सडक पर सामने से आ रही कार द्वारा उनकी जीप को टक्कर मार देने से होने का कथन किया है। उनकी जीप वाले ने पूरी साईड दे दी थी, फिर भी सामने कार वाले ने उनकी जीप के टक्कर मार दी थी। उसके पैर पर चोट आई थी, जिसका उसने मेडिकल करवाया था जो प्रदर्शपी–1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। एक्सीडेन्ट अल्टो कार चालक की गलती से हुआ था। टक्कर में दुर्गादेवी की मौत हो गयी थी। दौराने जिरह गवाह ने यह कथन किया है कि जिस जीप में वह बैठी थी, वह तीन पलटी खायी थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जीप पलटी खाने से ही उसके चोट आयी थी। गवाह ने कथन किया है कि अल्टो कार चालक को वह नहीं जानती है और उसने उसे देखा भी नहीं था।

10. प्रकरण के आहतगण **गवाह पीडब्ल्यू–07 उषा** ने यह कथन किया है कि करीब 06 साल पहले वह, सुरज्ञान, कमला, सुनिता, टोमा, दुर्गा व दो अन्य थी, जो बालूराम मीणा की गाडी से पुष्कर नहाने के लिये गये थे। पुष्कर नहाकर वापस आते समय मारोठ व भगवानपुरा के बीच तिराहे पर सामने से एक

सफेट अल्टो गाडी लहराते गलत दिशा में आयी व उनकी कार के टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार उल्ट गयी। उसे करीबन 03 घंटे बाद में निकाला तब वह कार में ही फंसी रही। उसका हाथ टूट गया, सिर में लगी, उसे दो दिन तक होश नहीं आया। दुर्गा देवी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। अल्टो कार के चालक का नाम महेन्द्रसिह निवासी सुरेरा था। उसके चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 11 पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। गवाह ने दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त यह कथन किए हैं कि वह गाड़ी चालक से कभी नहीं मिली थी व दुर्घटना कारित चालक को उसने नहीं देखा था व वह गाड़ी चालक को आज भी नहीं जानती है। गवाह ने यह कथन किया है कि यह घटना कैसे घटी, इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसे दो दिन बाद में होश आया था, उससे पहले क्या हुआ, उसे पता नहीं है, उसे गाड़ी से किसने निकाला उसे पता नहीं है। **गवाह पीडब्ल्यू–08 टोमा** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि करीब 06 साल पहले वह, मीरा, उषा, सुरज्ञान, कमला, सुनिता, दुर्गा व दो अन्य थी, जो बालूराम मीणा की गाडी से पुष्कर नहाकर वापस आ रहे थे तो मारोठ व भगवानपुरा के बीच में महाराजपुरा के पास शाम को 07 बजे सामने से एक सफेद अल्टो लहराते हुए गलत दिशा में आया और उनकी कार के टक्कर मार दी, जिससे उनकी कार उल्ट गयी व औरते फंस गयी। उनके सभी औरतों के चोटें आयीं। उन्हें मारोठ अस्पताल ले जाया गया, जहां से मीरा, दुर्गा को जयपुर को इलाज के लिये भिजवा दिया। दुर्गा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। दुर्घटना से उसके पैरो में चोट आयी थी जो तगडी चोट आयी थी। जिस अल्टो कार के चालक ने उन्हें टक्कर मारी, उसका नाम नारायणसिंह मालूम चला था, जो गुर्जरों का था, सुरेरा का था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना की तारीख, मिति, वार याद नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि दुर्घटना कारित चालक को उसने नहीं देखा था। जिस गाड़ी में वह बैठी थी, उसे गाड़ी के पलटी खाने से उस गाड़ी के पाइप से उसके लग गयी थी। हादसा अचानक से हुआ था, घटना कैसे हुयी, उसे पता नहीं है। **गवाह पीडब्ल्यू–09 कमला** ने दौराने मुख्य परीक्षण यह कथन किए हैं कि करीब 07–08 साल पहले वह, टोमा, मीरा, उषा, सुरज्ञान, कमला, दुर्गा व दो अन्य थी, जो बालूराम मीणा की गाडी से पुष्कर नहाकर वापस आ रहे थे तो भगवानपुरा के आगे शाम को 07 बजे सामने से एक महेन्द्रा की सफेद गाडी आयी, जिसने उनकी गाडी के टक्कर मार दी, जिससे उनके सभी औरतों के चोटें आयीं। टक्कर से उनकी गाडी पलटी खा गई। दुर्गा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। वही दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना की तारीख, मिति, वार

याद नहीं है। उक्त घटना के 15–20 दिन बाद तक वह बेहोश रही। गवाह ने यह भी कथन किया है कि यह घटना कैसे हुयी, यह उसे पता नहीं है। कार चालक महेंद्र का नाम उसे किसी ने बताया था, उसने चालक को नहीं देखा। वही प्रकरण में **पीडब्ल्यू–10** के रूप में परीक्षित सुरज्ञान ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि करीब 06 साल पहले वह, मीरा, उषा, टोमा, कमला, सुनिता, दुर्गा व दो अन्य थी, बालूराम मीणा की गाडी से पुष्कर नहाकर वापस आ रहे थे तो मारोठ व भगवानपुरा के बीच में करीब 07 बजे सामने से सफेद गाडी लहाराते हुए आकर उनकी गाडी के टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाडी पलटी खा गयी। उसके सिर, कंधो पर चोटें आयीं। सफेद गाडी का चालक सुरेरा का था, जो कि गुर्जरों का था। उक्त एक्सीडेंट सफेद गाडी के चालक की गलती से हुआ था। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त, गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना की तारीख, वार याद नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उनकी गाड़ी में बीच वाली सीट पर बैठी थी व उनकी गाड़ी पलटी खाते ही वह बेहोश हो गयी थी, जो गाड़ी पलटी खायी उसी गाड़ी के पाइपों से, शीशों से उसके चोट आयी थी। गवाह ने यह भी कथन किया है कि उनकी गाड़ी के पीछे से टक्कर मारने से उसे पता नहीं है क्या हुआ। वह गाड़ी के चालक से कभी नहीं मिली थी, जिनको वह नहीं जानती है।

11. प्रकरण में मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 के गवाह के रूप में परीक्षित पीडब्ल्यू–06 अमीर असलम खां ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि उसने वाहन पंजीयन नंबर आर जे 23 सी बी 5933 की मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 तैयार की, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि वाहन की टूट–फूट कितनी पुरानी है, इसका अंकन उसकी रिपोर्ट में नहीं है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने वाहन चलाकर नहीं देखा, क्योंकि वाहन चलने की स्थिति में नहीं था, इस कारण वह यह नहीं बता सकता कि उसके कंट्रोल सिस्टम सही थे या नहीं। प्रकरण के मालखाना इंचार्ज के रूप में परीक्षित पीडब्ल्यू–12 परमाराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए हैं कि दिनांक 23.11.2018 को थाने के मुकदमा नंबर 108/18 में थानाधिकारी श्री रणजीत सिंह जी ने एक एल्टो कार 800, नंबर आरजे 23 सीबी 5933 रंग सफेद, लाकर थाने परिसर में खडी की गई थी। जिसका उसने मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 197/18 पर इन्द्राज किया हुआ है, जो कि प्रदर्श पी 29 है, जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी 29 ए है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने दौराने जिरह यह कथन किया है कि इस वाहन को वहां से कौन चलाकर लेकर आया, उस व्यक्ति का नाम से पता नहीं है। वही

प्रकरण की अन्य आहता कमला देवी पीडब्ल्यू–15 ने दौराने मुख्य परीक्षण यह कथन किया है कि करीबन 07 साल पहले पुष्कर तीर्थ स्नान कर वापस आते समय उनके गांव की एक गाडी मीणों की थी, जिसने उनकी गाडी के टक्कर मार दी थी। उसके साथ में सुरज्ञान, सुप्यार, मीरा, दुर्गा, उषा थी। टक्कर से उसके चोटें आयी थी तथा अन्य औरतों के भी चोटें आयीं थी। उसके चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–16 पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि वह जिस गाड़ी में बैठी थी, वह गाड़ी पलटी खा गयी थी, जिससे उसके चोटें आयीं। पलटी कैसे खायी, उसे पता नहीं है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि मौके पर कौन–कौन लोग आए, उसे पता नहीं है। इस घटना के अलावा और कोई जानकारी नहीं है।

12. प्रकरण में नक्शामौका के गवाह के रूप में परीक्षित साक्षी पीडब्ल्यू–14 सांवरमल व पीडब्ल्यू–13 बद्रीप्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण में नक्शा मौका प्रदर्श पी 20 पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हुए मारोठ के पास भगवानपुरा के पास करीब 05–06 साल पहले उनके गांव की औरतों का एक्सीडेंट होने का कथन किया, पुलिस वालों ने उसके सामने कमांडर गाडी का मुआयना किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 21 पर उसके हस्ताक्षर है। कमांडर गाडी बालूराम की थी। फर्द जप्ती अल्टो गाडी आर जे 23 सी बी 5933 प्रदर्श पी 26 पर उसके हस्ताक्षर है। यह गाडी पुलिस वालों ने मारोठ पेट्रोल पम्प से जप्त की थी। दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने सभी फर्दों पर केवल हस्ताक्षर करवाए थे, पढ़कर नहीं सुनाया था, इसके अलावा उसे पता नहीं है। वही प्रकरण में धारा 133 एम.वी एक्ट के नोटिस के गवाह के रूप में परीक्षित पीडब्ल्यू–17 किशनलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि करीब सात– आठ साल पहले उसका बच्चा गाडी लेकर चला गया था, जो पलटी खा गई थी, पुलिस वालों ने उसे 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 27 दिया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–27 नोटिस पर ए से बी भाग पर जवाब उसका लिखा हुआ नहीं है व पुलिसवालों ने उसके खाली पेजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। उसे घटना की जानकारी नहीं है।

13. वही प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी के रूप में परीक्षित डॉ. जीवण चौधरी पीडब्ल्यू–01 ने अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 19.11.2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मारोठ में चिकित्साधिकारी के पद पर रहते हुए पुलिस प्रतिवेदन पर आहतगण सुनिता देवी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 तैयार किया था, जिसमें चोट संख्या 1

खरोंचनुमा निशान, जिसमें से खून का बहाव हो रहा था, जो बायें हाथ पर कोहनी से नीचे स्थित थी। चोट संख्या 2 सिर में बायें कंधे पर दर्द की शिकायत की। चोट साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसने दुर्गादेवी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–02 तैयार किया था। जिसमें चोट संख्या 1 कुचला हुआ घाव, जो सिर के बीच वाले पैराईटल हड्डी पर थी। चोट संख्या 2 पेलविक रिजन में दर्द की शिकायत की, परन्तु कोई जाहिरा चोट नहीं थी। चोट संख्या 3 खरोंच, जो दाहिनें पैर की अगूंठे पर स्थित थी। चोट संख्या 4 पूरे शरीर पर दर्द की शिकायत की। चोट संख्या 3 साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित थी। चोट संख्या 1 व 2 कुन्द हथियार से कारित थी। उसी दिन उसने मीरा देवी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 तैयार किया था, जिसमें चोट संख्या 1 कट्टा–फट्टा घाव, जो बायीं आंख के उपर ललाट पर स्थित थी, जिसमें से खून निकल रहा था। चोट संख्या 2 खरोंचनुमा निशान, चोट संख्या 3 शरीर पर दर्द की शिकायत की। चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित थी। बाद एक्स–रे चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित होना पायी गई। एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है व एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी 5 व 6 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसने सुप्यार के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 तैयार किया था, जिसमें चोट संख्या 1 शरीर पर दर्द की शिकायत की, चोट संख्या 2 बायें हाथ की कोहनी पर नीलगू था, चोट संख्या 3 सूजन व दर्द जो बायें कंधे पर थी। चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित थी। एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर चोट संख्या गंभीर प्रकृति की पायी गई। एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी 8 है, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसने सुरज्ञान देवी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 10 तैयार किया था, जिसमें चोट संख्या 1 खरोंचनुमा निशान, चोट संख्या 2 शरीर पर दर्द की शिकायत की। चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित थी। उसी दिन मैंने उषा देवी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–11 तैयार किया था, जिसमें चोट संख्या 1 कट्टा–फट्टा घाव, चोट संख्या 2 बायें घुटने पर स्थित था। चोट संख्या 3 बायें हाथ के उपरी भाग पर दर्द की शिकायत थी, कंधे पर भी दर्द की शिकायत थी जिसके कारण हाथ को हिला नहीं पा रहा था। चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित थी। बाद एक्स–रे चोट संख्या 2 साधारण प्रकृति

की एवं कुन्द हथियार से कारित होना पायी गई। चोट संख्या 3 गंभीर प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित होना पायी गई। एक्स—रे प्लेट प्रदर्श पी 12 व 13 है। एक्स—रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है। दिनांक 20.11.2018 को उसने तोफा देवी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार किया था, जिसमें चोट संख्या 1 शरीर के पीछे के भाग पर दर्द की शिकायत थी। चोट संख्या 2 बायें आंख के उपर दर्द की शिकायत थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 15 है। कमला देवी के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 16 तैयार किया था। जिसमें चोट संख्या 1 खरोंचनुमा निशान, बायें हाथ की उपरी भाग पर था। चोट संख्या 2 खरोंचनुमा निशान, दाहिनें पैर की आगे की सतह पर घुटने से 10 सेमी नीचे स्थित थी। चोट संख्या 1 व 2 साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित थी। दिनांक 24.11.2018 को उसने बाबूराम के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 17 तैयार किया था। जिसमें चोट संख्या 1 कट्टा फट्टा घाव, सिर के बायें पैराईटल रिजन पर था। चोट संख्या 2 कट्टा फट्टा घाव, बायें घुटने पर थी। चोट संख्या 3 बायें हाथ पर दर्द की शिकायत की। चोट संख्या 1 व 2 साधारण प्रकृति की एवं कुन्द हथियार से कारित थी।

जिरह के दौरान गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी—1 लगायत 17 में वर्णित चोटें यदि कोई कमाण्डर जीप अनियंत्रित होकर पलटी खाकर गिर जाए तो मजरूबान के इस प्रकार की चोटें आना संभव है। वही पीडब्ल्यू—16 बाबूलाल ने दौराने मुख्य परीक्षण यह कथन किए हैं कि उसने डॉक्टर जीवणराम चौधरी के निर्देशन में आहत सुप्यार देवी, मीरा देवी, उषा देवी के शरीर पर आयी चोटों का एक्सरा किया था, जिनके एक्सरे कमशः प्रदर्श पी 09, प्रदर्श पी 04, प्रदर्श पी 14 पर चिकित्सा अधिकारी जीवण के हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह ने यह कथन किया है कि उसने एक्सरे प्लेट एक्सरे मशीन से तैयार की थी, जिसमें उसके द्वारा कोई राय नहीं दी गयी।

14. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू—11 रणजीत सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी बालूराम द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 दर्ज कर प्रकरण का अनुसंधान प्रारम्भ किया गया, जिसमें परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श 20 बनाया, घटना से परिचित साक्षीगण के बयान धारा 161 सीआर.पी.सी. लेखबद्ध किये, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन का घटनास्थल पर फर्द निरीक्षण किया जाकर जरिये फर्द पी 21 वाहन स्वामी को सुपुर्द किया, घटना पर आहतगण का मेडिकल मुआयना करवाकर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01

लगायत 03 व 07, 15, 10, 16, 11, 17 एवं एक्सरे रिपोर्ट मय एक्सरे प्रदर्श पी 14, प्रदर्श पी 04. प्रदर्श पी 09 प्राप्त किया, घटना में मृतक दुर्गा देवी की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 23 एवं मृतक की लाश का पोस्टमार्टम प्र.पी. 24 व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 25 प्राप्त किया, दुर्घटना करने वाले वाहन नंबर आरजे 23 सीबी 5933 एल्टो कार को जरिये फर्द प्रदर्श 26 जप्त किया, वाहन स्वामी को धारा 133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 27 दिया जाकर जवाब प्राप्त किया एवं वाहन चालक को धारा 134 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 28 दिया, जब्त वाहन एल्टो कार का मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी 22 करवाया गया। समस्त अनुसंधान से उसके द्वारा मुलजिम महेन्द्र के विरूद्ध धारा 279, 337, 338, 304 ए आईपीसी का प्रमाणित मानकर नतीजा न्यायालय में पेश किया गया।

दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 मजरूबगण व मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज नहीं करवायी गयी । गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्घटनाग्रस्त कार एवं कमाण्डर जीप में लोहे की बॉडी ज्यादा लगी रहती है व कमाण्डर जीप में सवारी की परमिट लगी हुयी है, जिसमें ड्राइवर सहित पांच व्यक्ति की परमिट लगी हुयी है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि कमाण्डर में क्षमता से अधिक सवारी बैठी थी। गवाह द्वारा यह तथ्य भी स्वीकार किया गया है कि बयान गवाह बालूराम, मीरा देवी, सुप्यार कंवर, संगीता, सुनीता, उषा, टोमा, कमला, सुरज्ञान इनके धारा 161 के बयानों के आधार पर ही प्रमाणित माना है।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करे तो न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि क्या सड़क दुर्घटना में आयी चोटों से आहतगण के शरीर पर साधारण व गंभीर प्रकृति की उपहतियां कारित हुयी व दुर्गा देवी की मृत्यु कारित हुयी है? जिसके संबंध में परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 में स्पष्ट रूप से दिनांक 19.11.2018 को गांव की औरतों को पुष्कर स्नान करवाकर वापस मारोठ की तरफ जाते समय सामने से आ रही अल्टो कार के टक्कर मारे जाने से उसकी जीप में बैठी सवारियों के चोटें आने व उन्हें रेफर करना अंकित किया है। तहरीरी रिपोर्ट में अंकितानुसार ही परिवादी पीडब्ल्यू–02 बालूराम ने अपने न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में करीब साढे तीन साल पहले औरतों को पुष्कर स्नान करवाकर वापस लेकर आते समय महाराजपुरा व मारोठ के बीच सामने से अल्टो कार नम्बर आरजे 23–सीबी–5933 ने लहराते हुए गलत दिशा में आकर उसकी जीप के टक्कर मारने से अपनी जीप में बैठी औरतों के चोटें आना व

दुर्गादेवी की मौत हो जाना अंकित किया है। इस संबंध में सभी आहतगण ने घटना के समय जीप में बैठकर मारोठ की तरफ जाते समय हुयी दुर्घटना में चोटें आने का कथन किया है एवं जिसकी पुष्टि सभी आहतगण के चोट प्रतिवेदन व मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से व चिकित्सकीय साक्षी पीडब्ल्यू–01 की साक्ष्य से भी होती है। यद्यपि चोट प्रतिवेदन में अंकित चोटें जीप अनियंत्रित होकर संभव होना अंकित किया गया है, किंतु सभी साक्षीगण द्वारा सामने से आ रही कार द्वारा टक्कर मारे जाने से ही दुर्घटना कारित होना बताया गया है, जिससे आहतगण के शरीर पर आयी चोटें एवं मृतका के शरीर पर आयी चोटें सड़क दुर्घटना में आने के तथ्य की पुष्टि होती है।

16. उक्त तथ्य के बाद न्यायालय के समक्ष अन्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वाहन जीप नंबर RJ 23 U 0274 को वाहन अल्टो कार नंबर RJ 23 CB 5933 से ही दुर्घटना कारित हुयी है? इस संबंध में परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 में स्पष्ट रूप से मारोठ की तरफ जाते समय सामने से आ रही अल्टो कार द्वारा उसकी जीप के टक्कर मारे जाने से ही जीप के पलटी खाना बताया है। वही पीडब्ल्यू–02 बालूराम ने अल्टो कार RJ 23 CB 5933 द्वारा ही टक्कर मारे जाने का कथन किया है। घटना में आहत साक्षीगण द्वारा यद्यपि दुर्घटना सामने से आ रही अल्टो कार की टक्कर से होना बताया है, किंतु वाहन के नंबर अपने न्यायालय के समक्ष हुए कथन में नहीं किए हैं, किंतु सभी आहतगण मात्र साक्षर या अनपढ़ ग्रामीण महिलाएं, जिनसे घटना के समय वाहन के नंबर देखे जाने एवं न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिए जाने के समय तथा ऐसे नंबर याद रखे जाने की अपेक्षा रखा जाना न्यायोचित नहीं है। दुर्घटना होने के तुरंत पश्चात् दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद दौराने अनुसंधान क्षतिग्रस्त वाहन एवं दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को सरहद महाराजपुरा एवं मारोठ के पेट्रोल पंप से ही दिनांक 22 व 23.11.2018 को जब्त किया गया है। क्षतिग्रस्त वाहन के फर्द निरीक्षण एवं दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के मौका मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 का अवलोकन करे तो उक्त वाहन पर ही कई स्थानों पर दुर्घटनाग्रस्त होने के आलामात प्रकट होते हैं एवं दोनों ही वाहनों के दांहिनी तरफ के हिस्से पर अत्यधिक क्षति कारित हुयी होना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, जिससे वाहन अल्टो कार द्वारा ही परिवादी के वाहन जीप को टक्कर मारे जाने से ही उक्त दुर्घटना हुयी होने का तथ्य प्रकट होता है।

17. न्यायालय के समक्ष अन्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कथित दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन अल्टो कार नंबर RJ 23 CB 5933 को मुल्जिम महेंद्र सिंह द्वारा ही चलाया जा रहा था? इस संबंध में पेश की गयी साक्ष्य में

परिवादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यद्यपि वाहन चालक के संबंध कोई कथन नहीं किए हैं। किंतु न्यायालय साक्ष्य में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन अल्टो कार को मुलजिम महेंद्र सिंह द्वारा चलाया जा रहा होना बताया है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम अंकित नहीं किया गया होने से न्यायालय साक्ष्य के समय परिवादी को वाहन चालक के नाम की जानकारी किस माध्यक से प्राप्त हुयी यह स्पष्ट नहीं है, किंतु दुर्घटना के पश्चात् वाहन अल्टो को जब्त किया जाकर उसके पंजीकृत स्वामी को अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 133 एम.वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–27 दिया जाकर वाहन चालक के संबंध में जवाब प्राप्त किया गया है एवं वाहन स्वामी किशनलाल पीडब्ल्यू–17 ने न्यायालय साक्ष्य में भी अपना बच्चा गाड़ी लेकर गया होना और उस गाड़ी के पल्टी खा गए होने से हुयी दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा स्वयं को 133 एम.वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी–27 पर ए से बी अपना जवाब दिया गया होकर सी से डी अपने हसताक्षर होना बताया है। यद्यपि जिरह में नोटिस पर जवाब अपना नहीं लिखा होना बताते हुए खाली कागजों पर अपने हसताक्षर होना बताया है एवं घटना की जानकारी नहीं होना बताया है, किंतु इस साक्षी ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से अपने पुत्र का ही गाड़ी लेकर गया होने का कथन किया है। चूंकि उक्त साक्षी किशनलाल मुलजिम महेंद्र सिंह का पिता है, जिसके द्वारा न्यायालय साक्ष्य में जान–बूझकर अनभिज्ञता जाहिर किया जाना संभव है, किंतु न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में स्पष्ट रूप से वाहन अल्टो कार अपने पुत्र द्वारा ही ले जाए जाने का कथन किया गया है, जो यह प्रकट करता है कि घटना के समय वाहन अल्टो कार नंबर RJ 23 CB 5933 को मुलजिम महेंद्र सिंह पुत्र किशनलाल द्वारा ही चलाया जा रहा था। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी बाद अनुसंधान मुलजिम महेंद्र सिंह को ही वाहन का चालक मानते हुए नतीजा रिपोर्ट पेश की गयी है। अतः यद्यपि चश्मदीद साक्षीगण द्वारा वाहन चालक के संबंध में कोई स्पष्ट एवं पुष्टिकारी साक्ष्य नहीं दी गयी है, किंतु वाहन स्वामी एवं मुलजिम के पिता द्वारा न्यायालय में अपने पुत्र का ही कार लेकर चले गए होने के संबंध किए गए कथन से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वाहन घटना के समय मुलजिम महेंद्र सिंह द्वारा ही चलाया जा रहा था।

18. उक्त तथ्यों के पश्चात् न्यायालय के समक्ष अन्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या घटना के समय वाहन अल्टो कार RJ 23 CB 5933 को उसके चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से चलाया जा रहा था? परिवादी ने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय साक्ष्य में अल्टो कार चालक द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाए जाने का कथन किया है एवं आहतगण की ओर से भी सामने की तरफ से आ रही कार द्वारा गलत दिशा में आकर टक्कर मारे जाने की साक्ष्य

दी गयी है। यद्यपि ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिलाएं होने के कारण कुछ साक्षीगण द्वारा जिरह में घटना किस प्रकार कारित हुयी, इसकी जानकारी नहीं होना बताया है, किंतु दुर्घटना के परिणामस्वरूप वाहनों में हुयी क्षति से ही दुर्घटना से पूर्व वाहनों की गति का अनुमान लगाया जा सकता है एवं दुर्घटना के पश्चात् बनाया गया नक्शामौका घटनास्थल में स्पष्ट रूप से मारोठ से नावां की तरफ आ रहे वाहन का अपने चलाने की दिशा से विपरीत दिशा में सामने से आ रहे वाहन को विपरीत दिशा में टक्कर मारी गयी होने एवं बाद दुर्घटना विपरीत दिशा में ही वाहन का पड़े होना दुर्घटना के परिणामस्वरूप घटनास्थल पर तेल के धब्बे मिट्टी में पड़े होने व कांच के टुकड़े भी मौके पर पड़े होना दर्शित है। तेज गति एवं लापरवाही का तथ्य दुर्घटना के परिणामों के आधार ही अनुमान लगाया जा सकता है। पत्रावली पर आयी साक्ष्य से वाहन चालक द्वारा अपने चलाने की दिशा के विपरीत दिशा में आकर सामने से आ रहे वाहन को टक्कर मारना चालक की लापरवाही को स्वमेव दर्शाता है एवं दुर्घटना के परिणामस्वरूप दोनों ही वाहनों को हुयी क्षति से घटना के समय वाहन का दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के तेज गति से चलाए जाने का तथ्य स्पष्ट रूप से साबित करता है।

19. इस प्रकार अभियोजन की समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मुल्जिम महेंद्र सिंह द्वारा ही वाहन अल्टो कार नंबर RJ 23 CB 5933 को घटना के समय तेजगति व लापरवाही से चलाकर परिवादी की जीप के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित किया जाना एवं इसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप आहतगण को साधारण व घोर उपहति कारित होने व मृतका दुर्गा देवी की मृत्यु हो जाने के पर्याप्त साक्ष्य आने से मुल्जिम को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

20. अभियुक्त महेंद्र सिंह पुत्र किशनलाल, उम्र वयस्क, निवासी सुरेरा, पुलिस थाना दांतारामगढ़, जिला सीकर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(धर्मेन्द्र सिंह जाखड़)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नावां, जिला डीडवाना कुचामन

दण्ड के प्रश्न पर

21. विद्वान अधिवक्ता मुल्जिम ने मुल्जिम महेंद्र सिंह का यह प्रथम अपराध होना एवं नवयुवक होकर सुधरने की पूरी संभावना होना बताते हुये परीवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी ने मुल्जिम को अधिकतम सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

22. पत्रावली के अवलोकन से मुल्जिम का प्रथम अपराध होना प्रकट होता है, किंतु वर्तमान समय में लोगों द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाकर की जा रही सड़क दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि के कारण एवं दंडादेश का सम्पूर्ण समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण मुल्जिम को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इसीलिए मुल्जिम की परिवीक्षा की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

दण्ड़ादेश

23. अतः अभियुक्त महेंद्र सिंह पुत्र किशनलाल, उम्र वयस्क, निवासी सुरेरा, पुलिस थाना दांतारामगढ़, जिला सीकर को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा **304ए** भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दो साल के साधारण कारावास एवं 10,000/— (अक्षरे दस हजार रुपये) के जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना मुल्जिम तीन माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा, धारा **279** भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 06 माह के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है तथा धारा **337** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए 06 माह के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है एवं धारा **338** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए 06 माह के साधारण कारावास एवं 500/— (अक्षरे पांच सौ रुपये) के जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना मुल्जिम 15 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा। उपरोक्त सभी सजाएं साथ—साथ चलेगी।

24. दंडादेश के अनुसार मुल्जिम का सजा वारंट बनाया जावें। जिस पर अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में भुगती गई न्यायिक अभिरक्षा की अवधि की गणना कर उक्त अवधि संहिता की धारा 428 के तहत मूल सजा से मुजरा किये जाने का नोट अंकित किया जावे।

25. प्रकरण में जब्तशुदा प्रश्नगत वाहन को सुपुर्दगी पर दिया गया है तो इस संबंध में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी स्वतः ही उन्मोचित समझे जावे तथा प्रश्नगत वाहन व कागजात संबंधित के पास ही बने रहने के आदेश प्रदान किये जाते है।

26. निर्णय की प्रति अभियुक्त/मुल्जिम को तुरंत नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे।

(धर्मेन्द्र सिंह जाखड़)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नावां, जिला डीडवाना– कुचामन

27. निर्णय आज दिनांक 09 जुलाई, 2026 को लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(धर्मेन्द्र सिंह जाखड़)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नावां, जिला डीडवाना– कुचामन